भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *272

जिसका उत्तर 18.12.2025 को दिया जाना है

महाराष्ट्र के जनजातीय/पिछड़े जिलों में राजमार्ग परियोजनाएं

*272. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस बात के दृष्टिगत कि 12.20 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं से राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और राजमार्ग नेटवर्क बढ़कर 1.46 लाख किलोमीटर हो गया है, क्या सरकार ने मंत्री जी के इस वक्तव्य का संज्ञान लिया है कि सड़कों की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता और राजमार्गों से संबंधित कार्यों हेतु अधिकारियों और ठेकेदारों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र में विशेषकर जनजातीय अथवा पिछड़े जिलों में वर्तमान में कितने किलोमीटर नए राजमार्ग या राज्य राजमार्ग निर्माणाधीन हैं अथवा जिनका उन्नयन किया जा रहा है और ऐसे कार्यों के लिए कितना बजट आवंटन किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने राजमार्गों के टिकाऊ और सुरक्षित होने को सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय अथवा दूर-दराज के इलाकों से गुजरने वाले राजमार्गों, जहां ढलान, नालियां और पहुंच अधिक कठिन है, के लिए विशेष गुणवत्ता निगरानी या रख-रखाव कार्यक्रम शुरू किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार जनजातीय/पिछडे जिलों में सभी प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और पूर्णता संबंधी मानकों को पूरा करने की अपेक्षा कब तक करती है और इन जिलों को शामिल करते हुए पहली सार्वजनिक संपरीक्षा रिपोर्ट कब तक उपलब्ध होगी?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"महाराष्ट्र के जनजातीय/पिछड़े जिलों में राजमार्ग परियोजनाएं" के संबंध में एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी द्वारा पूछे गए दिनांक 18.12.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *272 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) जी,हां। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) नेटवर्क की लंबाई मार्च, 2014 के 91,287 किमी से 60% बढ़कर वर्तमान में 1,46,560 किमी हो गई है और वर्तमान में, देश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का कार्य लगभग 7.70 लाख करोड़ रुपये की लागत से लगभग 28,000 किलोमीटर की लंबाई में किया जा रहा है।

यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के विनिर्देशों और संहिताओं (कोड्स) में निर्दिष्ट निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार किया जाए। घटिया कार्य/परियोजनाओं के मामले में, जहां गुणवत्ता की बड़ी कमियां पाई गई हैं, वहां चूककर्ता एजेंसियों के खिलाफ संविदा / रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की गई है, जैसे संविदा करार को समाप्त करना, जुर्माना लगाना/परिसमापन (लिक्विडेटेड) हर्जाना, प्रतिबंधित करना/काली सूची में डालना, गैर-निष्पादनकर्ता के रूप में घोषित करना आदि।

25 परियोजनाओं में नुकसान के लिए संविदाकारों/रियायतग्राहियों के खिलाफ जुर्माना लगाया गया है, 3 परियोजनाओं में, दोष देयता अवधि (डीएलपी) को बढ़ा दिया गया है, 11 परियोजनाओं के मामले में, ठेकेदार को काली सूची में डाला/प्रतिबंधित किया या संविदा समाप्त कर दिया गया है, 11 परियोजनाओं में प्राधिकरण के इंजीनियर/स्वतंत्र इंजीनियर (एई/आईई) या उनके प्रमुख कर्मियों को काली सूची में डाला / प्रतिबंधित किया गया है और 2 परियोजनाओं के लिए कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी को जब्त/नकदीकृत किया गया है।

11 अधिकारियों को कार्य निष्पादन मूल्यांकन के कारण और 11 अधिकारियों के खिलाफ की गई अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के दौरान लापरवाही और सही तरीके से कर्तव्य नहीं निभाने सहित विभिन्न कारणों से उन्हें सेवा से हटा दिया गया था।

(ख) से (घ) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है। आकांक्षी और जनजातीय जिलों तथा अन्य जिलों को संपर्कता (कनेक्टिविटी) उपलब्ध कराने वाले एनएच सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य और उनकी क्षमता वृद्धि यातायात सघनता, कनेक्टिविटी की आवश्यकता, सड़क की दशा, पारस्परिक प्राथमिकता और पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के साथ तालमेल के आधार पर किए जाते हैं।

वर्तमान में, महाराष्ट्र राज्य में कुल 3,840 किमी की लंबाई और 51,029 करोड़ रुपये की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का कार्य चल रहा है; इनमें से, 33,408 करोड़ रुपये की लागत से कुल 1,952 किमी लंबाई की परियोजनाएं या तो जनजातीय / आकांक्षी जिलों से गुजरती हैं या वहां है, जिन्हें जून, 2027 तक चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए निधियों का आवंटन परियोजना-वार नहीं, बल्कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)/एजेंसी-वार किया जाता है।

देश में राजमार्ग निर्माण (जनजातीय या दूरदराज के इलाकों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों सहित) में निर्धारित गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, निर्माण स्थल (साइट) पर कार्यों के दैनिक पर्यवेक्षण के लिए निष्पादन एजेंसियों द्वारा परामर्शदाता (एई/आईई) नियुक्त किए जाते हैं। रियायतग्राहियों/संविदाकारों द्वारा किए गए कार्य का समय-समय पर निरीक्षण करके निर्धारित आवश्यकताओं के साथ गुणवत्ता के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित किया जाता हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों के कार्यान्वयन में गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में सुधार के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:-

i. जारी की गई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में स्वचालित और कुशल/मशीन-सहायता प्राप्त निर्माण (एआई-एमसी) को अपनाने के लिए नीति;

ii. सभी एनएच और एक्सप्रेसवे के कार्यों के पूरा होने के समय और उसके बाद प्रति छह माह में, सड़क की दशा का आकलन नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन (एनएसवी) के माध्यम करना अनिवार्य है और इसकी निगरानी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाती है। संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) के दौरान संविदा के प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए समर्पित सेंट्रल सेल के माध्यम से विश्लेषण का उपयोग करके सड़क की दशा के आकलन के लिए एनएसवी प्रणाली में और सुधार किया गया है;

iii. राजमार्ग दोषों की निगरानी और सुधार के लिए एनएचएआई वन ऐप नामक एक केंद्रीकृत प्रणाली का संचालन, जो तस्वीरों के साथ दोषों की जियो-टैगिंग को सुगम बनाता है;

iv. किए जा रहे एनएच कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता के आवधिक मूल्यांकन के लिए समय-समय पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस)/मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ एकीकृत ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम (डीएएमएस) में ड्रोन सर्वेक्षणों से एकत्र की गई उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजरी का विश्लेषण;

v. परियोजना कार्यान्वयन चरणों के दौरान समय-समय पर कार्यों की समग्र स्थिति और गुणवत्ता के नैदानिक मूल्यांकन के लिए चार राज्यों अर्थात् गुजरात, राजस्थान, ओडिशा और कर्नाटक में

पायलट आधार पर गैर-विनाशकारी परीक्षण उपकरणों से लैस मोबाइल गुणवत्ता नियंत्रण वैन (एमक्यूसीवी) की तैनाती। कुछ अन्य राज्यों में इस पहल में विविधता लाने का निर्णय लिया गया है;

vi. एनएच कार्यों की मामला-दर-मामला आधार पर स्वतंत्र गुणवत्ता लेखापरीक्षा (ऑडिट) के लिए तृतीय पक्ष के गुणवत्ता लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और ऐसी ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर संबंधित एजेंसियों द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई का अनुपालन करना।

निर्माण के दौरान या दोष देयता अवधि (डीएलपी) में नुकसान की मरम्मत या पुनर्निर्माण के लिए संविदा करार के प्रावधानों के अनुसार अपनी लागत पर सुधारात्मक कार्य करना संविदाकार / रियायतग्राही की जिम्मेदारी है, उन मामलों को छोड़कर जहां संविदा करार को समाप्त कर दिया गया है और उस मामले में प्रदान की गई प्रतिभूतियां जब्त कर ली जाती हैं।

*****